

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— ५०५४ / NH-91—कन्नौज / 26451 / 2017, दिनांक, लखनऊ, मई १५, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
वन एवं वन्यजीव अनुभाग—2,  
लखनऊ।

विषय : कन्नौज में एन०एच०—९१ किमी० २८९ से ३५६ तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) ०४ लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित ९९.३२८ हेटू संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित ६४७८ वृक्षों व २४२८१ पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक—८बी/यूपी/०६/२५/२०१८/एफसी/०४, दिनांक ०५.०४.२०१८,  
उ०प्र० शासन का पत्रांक—भा०स०—५७/१४—२—२०१८—८००(३५)/२०१८, दि० १७.०४.२०१८

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ०प्र० शासन को वापस उपलब्ध कराने हेतु शासन के सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। उक्त सूचनायें व अभिलेख पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में मुख्य वन संरक्षक, कानपुर के पत्रांक—५४४८/१४—१, दिनांक १५.०५.२०१८ द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हैं। अतः उक्त पत्र य संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुए खींक के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक प्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १— मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- २— प्रभागीय वनाधिकारी, कन्नौज वन प्रभाग, कन्नौज।
- ३— परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०य००, अलीगढ़।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)  
मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८०  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।